

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0:- भवन/स्था0-02-विविध-01/2020..... 87...../पटना, दिनांक- 16.3.2020

कार्यालय आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-3736 दिनांक-13.03.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय/निदेश के आलोक में भवन निर्माण विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने स्तर से आवश्यकतानुसार समूह-'ग' एवं अवर्गीकृत समूह के कर्मियों को दो समूह में बाँटकर उन्हें एक दिन बीच कर (Alternate Day) कार्यालय आने का निदेश जारी करेंगे। इस निदेश में कर्मीवार नाम एवं दिवस अंकित रहेगा।

  
(मनीष कुमार)


सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापाक:- 2243 (अ) 3/20

पटना, दिनांक- 16.3.2020

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी मुख्य अभियंता/निदेशक, अनुश्रवण/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0-यथोक्त।

  
सरकार के विशेष सचिव।


ज्ञापाक:- 2243 (अ) 3/20

पटना, दिनांक- 16.3.2020

प्रतिलिपि:- सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. कृपया सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-3736 दिनांक-13.03.2020 के आलोक में आवश्यकतानुसार अपने कार्यालय में भी कर्मियों के संबंध में निदेश निर्गत करेंगे।

अनु0-यथोक्त।

  
सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक -3/एम०-11/2020सा०प्र० 3736 /

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक.

आमिर सुबहानी  
सरकार के अपर मुख्य सचिव

सेवा में.

विकारा आयुक्त  
पुलिस महानिदेशक  
सभी विभाग  
सभी विभागाध्यक्ष  
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त  
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 13.3.2020

विषय:- कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि बिहार राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं उससे बचाव के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में विचार किया गया।

2 सम्यक विचारोपरान्त उक्त संदर्भ में तत्काल निम्नांकित निर्णय लिया गया है -

- (i) बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित सभी विद्यालय (प्राइवेट विद्यालय सहित)/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/कोचिंग संस्थान तत्काल प्रभाव से दिनांक-31.03.2020 तक बन्द रखे जायेंगे।
- (ii) सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था तत्काल स्थगित रहेगी। परन्तु मध्याह्न भोजन की राशि की गणना कर राशि सीधे संबंधित छात्र के खाते में दिनांक-31.03.2020 से पहले जमा करा दी जायेगी।
- (iii) सभी आगनवाड़ी केन्द्र बन्द रहेंगे। परन्तु आगनवाड़ी केन्द्र से लाभुक महिलाओं को Take Home Ration दिये जाने की व्यवस्था जारी रहेगी तथा बच्चों के भोजन की राशि की गणना कर यह राशि सीधे संबंधित अभिभावक के खाते में दिनांक-31.03.2020 के पहले जमा करा दी जायेगी।
- (iv) दिनांक-22.03.2020 को प्रस्तावित बिहार दिवस का आयोजन तत्काल स्थगित किया जाता है। बिहार दिवस के आयोजन के लिए अगली तिथि का निर्धारण बाद में किया जायेगा।
- (v) बिहार राज्य के अन्तर्गत सभी खेल-कूद से संबंधित आयोजन/सारकृतिक महोत्सव आदि जहाँ तक सम्भव हो स्थगित रखे जायेंगे। ऐसे आयोजनों के लिए बापू समागार/अधिवेशन भवन आदि सभी सरकारी भवनों की पहले से किये गये आरक्षण का तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।
- (vi) बिहार राज्य में अवस्थित सभी सरकारी पार्क/राज्य गाँधी जैविक उद्यान/ईको पार्क आदि तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।

(vii) सभी विभागाध्यक्ष ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनके कार्यालय में कर्मियों का एक साथ जुटाव न हो। इसके लिए आवश्यकतानुसार समूह 'ग' एवं 'अवर्गीकृत समूह' के कर्मियों को दो समूह में बाँटकर उन्हें एक दिन बीच कर (Alternate day) कार्यालय आने का निर्देश विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान द्वारा दिया जा सकेगा। परन्तु स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मी लगातार कर्तव्य पर रहेंगे जिसके लिए उन्हें समुचित रूप से प्रोत्साहित किया जायेगा।

(viii) भारत नेपाल सीमा पर कोरोना वायरस के संक्रमण की जाँच की व्यवस्था और सुदृढ़ की जायेगी।

(ix) सभी अस्पतालों को सुदृढ़ किया जायेगा तथा 100 अतिरिक्त Ventilators की व्यवस्था की जायेगी।

(x) कोरोना वायरस संक्रमण की जाँच की व्यवस्था अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना तथा पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भी की जायेगी।

(xi) राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सिनेमा हॉल तथा संग्रहालय तत्काल प्रभाव से दिनांक-31.03.2020 तक बन्द किये जाते हैं।

(xii) राज्य के अन्दर अवस्थित Shopping Malls को बन्द किये जाने के संदर्भ में निर्णय बाद में लिया जायेगा।

3 उपर्युक्त निर्णयों के संबंध में सभी संबंधित विभागों द्वारा अलग से विस्तृत एवं यथोचित आदेश निर्गत किया जायेगा। उक्त निर्णयों का दृढ़ता से अनुपालन करने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी निर्देशित करने की कृपा की जाय।

विश्वाराभाजन,




(आमिर सुबहानी)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक- 3/एम०-11/2020सा०प्र०...3736/ पटना-15 दिनांक-... 13.3.20

प्रतिलिपि-श्री चंचल कुमार, माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/श्री मनीष कुमार वर्मा, माननीय मुख्य मंत्री के सचिव तथा श्री अनुपम कुमार, माननीय मुख्य मंत्री के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।



(आमिर सुबहानी) 13.2.202

सरकार के अपर मुख्य सचिव।